सत्यमेव जयते

बिहार विधान परिषद्

190वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 4

08 अग्रहायण, 1940 (श.)

वृहस्पतिवार, तिथि ----------------------------------

29 नवम्बर, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 18

1.	परिवहन विभाग	....	....	02
2.	गृह (आरक्षी) विभाग	....	....	04
3.	गृह (विशेष) विभाग	....	....	02
4.	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	....	....	02
5.	लघु जल संसाधन विभाग	....	....	02
6.	जल संसाधन विभाग	....	....	04
7.	वित्त विभाग	....	....	01
8.	समाज कल्याण विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**18**

राशि का भुगतान

* 43. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान मिल रहा है, लेकिन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारीगण इस लाभ से वंचित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय उदासीनता के कारण 30 नवम्बर, 2009 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले निगमकर्मियों को पेंशन तो मिल रहा है, लेकिन उन्हें ग्रैच्यूटी एवं अव्यवहृत अवकाश का भुगतान भी नहीं मिल रहा है, जिससे उनमें भारी असंतोष व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थिति में राज्यकर्मियों की भांति बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कर्मियों को सातवां वेतनमान देने एवं निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रैच्यूटी एवं अव्यवहृत अवकाश की राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कारगर कदम

* 44. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सालाना करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि अस्पताल की खर्चीली सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद अस्पताल परिसर एवं वार्ड से मरीजों के परिजनों, अस्पताल के कर्मियों के मोबाइल, पैसे, मोटर साइकिल चोरी की दर्जनों घटनाएं घटित हो रही हैं;

(ग) क्या यह सही है कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेवार लोगों की मिलीभगत से ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पी.एम.सी.एच. परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद एवं सुदृढ़ करने की दिशा में कौन-सा कारगर कदम उठाना चाहती है, और कबतक ?

ड्राइविंग ट्रेनिंग अनिवार्य

* 45. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि देश में सड़क दुर्घटना से होने वाली सर्वाधिक मौत बिहार में होती है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2016 और 2017 में सड़क हादसे में 4,901 और 5,429 लोगों की मौत हुई है, जबकि वर्ष 2016 में पूरे राज्य का 10 प्रतिशत सड़क हादसा पटना में हुआ है जिसमें लगभग 500 लोगों की मौत हुई है;

(ग) क्या यह सही है कि भूतल एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार राज्य सरकार को ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए बड़ी राशि उपलब्ध कराती है, लेकिन डीटीओ की ओर से इस ट्रेनिंग को महत्व नहीं दिया जाता है;

(घ) क्या यह सही है कि बिना ट्रेनिंग के लाइसेंस जारी किए जाने की वजह से सड़क दुर्घटना बढ़ती जा रही है;

(ड) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग अनिवार्य कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अतिक्रमण से मुक्त

* 46. **मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत बिक्रम अंचल, पोस्ट-सैदाबाद के ग्राम-अमीरोबाद में (खाता सं.-178, प्लॉट सं.-1081, थाना सं.-38) 40 डी. रकबा का कब्रिस्तान है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कब्रिस्तान में असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता देकर इसकी घेराबंदी कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

ठोस कदम

* 47. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि न्यायालय में दाखिल नियमित या अग्रिम जमानत के आवेदन में मुकदमों की जानकारी के लिए मधुबनी जिला अंतर्गत विभिन्न थानों से केस डायरी उपलब्ध नहीं कराया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि लोक अभियोजक के पत्राचार करने के बावजूद दो माह उपरांत भी केस डायरी उपलब्ध नहीं होने से न्यायालयों में जमानत आवेदन का बोझ बढ़ता जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि पुलिस की लापरवाही के कारण लोगों को न्याय के लिए थाना से लेकर न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केस डायरी ससमय न्यायालय में उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पार्क का निर्माण

* 48. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के थावे में विगत कई वर्ष पूर्व एक पार्क निर्माण हेतु भूमि भी चयनित हो चुकी है एवं पार्क के शीघ्र निर्माण हेतु विभागीय कार्रवाई चल रही है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थल पर पार्क निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा चयनित भूमि संबंधित अभिलेख विभाग को समर्पित कर दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य सरकार गोपालगंज के थावे में पार्क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पईन की उड़ाही

* 49. **श्री राजन कुमार सिंह** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड में चेई प्राणपुर पईन की स्थिति काफी जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पईन की स्थिति जर्जर होने से किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि प्रभावित हो रही है जिससे किसानों को भारी राजस्व के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पईन की उड़ाही एवं चहका की मरम्मती कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोषी की गिरफ्तारी

* 50. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि संजीव साह, पिता पचकौड़ी साह, ग्राम-महरैल थाना-रुद्रपुर, जिला-मधुबनी के निवासी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक-17.10.2018 को दशहरा का मेला देखने इनकी पुत्री रंजना कुमारी गई थी जिसका अज्ञात अपराधियों द्वारा अपहरण कर हत्या कर दी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि रुद्रपुर थाना कांड सं.-83/18, दिनांक-18.10.2018 केस दर्ज हुआ है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी थाना प्रभारी की लापरवाही के कारण नहीं हुई है और न इनके परिवार को सरकारी मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी को शीघ्र गिरफ्तार करने और थाना अध्यक्ष, रुद्रपुर, जिला मधुबनी की कार्यशैली की शीघ्र जांच और मृतक के परिवार को शीघ्र 5 लाख रुपये सरकारी मुआवजा राशि दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पुल का जीर्णोद्धार

*** 51. श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीवान जिला के हसनपुरा प्रखंड में दाहा नदी पर एक पुल का निर्माण ब्रिटिशकाल में किया गया था, जो पुल हसनपुरा से उसरी ग्राम को जोड़ती थी;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित पुल पिछली बाढ़ में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो गया है, फलत: स्थानीय जनता का आवागमन प्रभावित हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित पुल का कबतक जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है ?

आयुर्वेदिक पौधशाला का निर्माण

*** 52. श्री संजय प्रकाश** : क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजधानी में आयुर्वेदिक पौधशाला नहीं है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार आयुर्वेदिक पौधशाला का निर्माण राजधानी में कबतक आम नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहती है ?

सूलिस गेट का निर्माण

*** 53. श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चंपारण जिले के प्रखंड लौरिया अंतर्गत पंचायत धमौरा के समीप चंवर नाला में पानी बहता है;

(ख) क्या यह सही है कि पंचायत धमौरा के ग्राम-वृन्दावन एवं धमौरा के बीच चंवर नाला में स्थित आर.सी.सी. पुल के समीप ग्राम-वृन्दावन, धमौरा, परसौनी के ग्रामीणों द्वारा खेतों की सिंचाई हेतु प्रतिवर्ष कच्चा बांध बनाकर बांस एवं प्लास्टिक लगाकर पानी को डैम कर लगभग 200 एकड़ खेतों की सिंचाई करते हैं, जो बांध प्रतिवर्ष टूट जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित में खेतों की सिंचाई हेतु चंवर नाला में आर.सी.सी. पुल के समीप सूलिस गेट का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

वाहनों की नीलामी

* 54. **श्री संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूरे राज्य के थानों में जब्त की गई बेकार पड़ी हुई गाड़ियां सड़ रही हैं;

(ख) क्या यह सही है कि जब्त किए गए वाहनों की नीलामी नहीं होने से उक्त सभी वाहन थाना परिसर के बाहर रखे गये हैं जिससे उक्त परिसर में गंदगी बनी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार थाने में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बांध का निर्माण

* 55. **श्री मनोज यादव** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि बांका जिलान्तर्गत फुल्लीडुमर प्रखंड के कलिया नदी से घुटियारी घुसरी के पास पूर्व से निर्मित बीयर (बांध) ध्वस्त हो चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित बीयर (बांध) के ध्वस्त हो जाने के कारण उक्त जिले के तीनों प्रखंडों यथा-फुल्लीडुमर, शम्भुगंज एवं भागलपुर जिला के शाहकुण्ड प्रखंड के किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की व्यवस्था करने हेतु खंड 'क' में वर्णित बांध का यथाशीघ्र निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ एवं सफल

* 56. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि लोगों की सहूलियत और हादसों से बचाने के लिए ट्रैफिक नियम बनाये गये हैं और इन्हें पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और ट्रैफिक विभाग की है, लेकिन इसके अनुपालन में बरती जा रही लापरवाही हादसों का सबब बन रही है और लोगों की जान भी जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि वाहनों पर नजर रखने और इ-चालान काटने के लिए राजधानी पटना के प्रमुख चौक-चौराहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगाये गये, लेकिन ट्रैफिक विभाग इसका कोई फायदा नहीं ले रहा है, जिससे पटनावासियों को रोजाना जाम का भी सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलायेगी कि उक्त वर्णित स्थिति में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सफल बनाने हेतु कौन-सा कदम उठाने पर विचार कर रही है, यदि नहीं तो क्यों ?

मुआवजा की राशि का भुगतान

* 57. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले में जादोपुर मंगलपुर महासेतु से अहिरौली दान उत्तर प्रदेश के सीमा तक सरकार द्वारा वर्ष 2017-2018 में गाइड बांध का निर्माण कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बांध के निर्माण में लगभग 298 किसानों की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया गया, लेकिन किसानों की भूमि के मुआवजा की राशि का भुगतान अबतक नहीं किया गया है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, जबकि सरकार द्वारा शीघ्र भुगतान का प्रावधान है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक गाइड बांध निर्माण में अधिगृहीत हुई भूमि के मुआवजा की राशि किसानों को भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कबतक

* 58. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले के सासामुसा चंवर से निकलकर सीवान जिला के सिसवन घाट तक जाने वाली दाहा नदी विलोपित होती जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित दाहा नदी के सीवान बदरूद्दीन हाता से नवलपुर तथा उससे निकलने वाली नहर में स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सीवान नगर परिषद् से होकर गुजरने वाली दाहा से खंड 'ख' में वर्णित नदी से कबतक अतिक्रमण हटाकर दाहा नदी को बचाने की कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

भारतीय स्टेट बैंक कबतक

* 59. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगिआंव प्रखंड है;

(ख) क्या यह सही है कि अगिआंव प्रखंड मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक नहीं है जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित की कठिनाई को देखते हुए अगिआंव प्रखंड में भारतीय स्टेट बैंक खोलवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर (क) स्वीकारात्मक

(ख) आंशिक स्वीकारात्मक है।

जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, भोजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार भोजपुर जिला के अगिआंव प्रखंड में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा नहीं है। अगिआंव प्रखंड में पंजाब नेशनल बैंक की 1 शाखा एवं मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की 4 शाखा के अतिरिक्त पंजाब नेशनल बैंक का 5 ग्राहक सेवा केन्द्र एवं मध्य बिहार ग्रामीण बैंक का 22 ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 18 मई, 2017 के परिपत्र में निम्न प्रावधान किया गया है -

'किसी देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (डीएससीबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी) और भुगतान बैंक (पीबी) के लिए बैंकिंग आउटलेट एक नियत स्थल पर सेवा सुपुर्दगी इकाई है, जिसे बैंक के स्टाफ अथवा उसके कारोबार प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है, जहां सप्ताह में कम-से-कम पांच दिन, प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे के लिए जमा राशियां स्वीकार करने, चेकों का नकदीकरण/नकद आहरण जाती है।'

(ग) कंडिका 'ख' में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अधिकारियों पर कार्रवाई

* 60. **श्री संजय प्रकाश** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि 'अपना घर' का निर्माण बेसहारा बच्चों के लिए होता है;

(ख) क्या यह सही है कि 'अपना घर' अब यातना घर के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस 'अपना घर' को सही स्वरूप में लाने में कितना समय लेगी और इस दिशा में बड़े अधिकारियों पर कबतक कार्रवाई करेगी ?

उत्तर (क) अस्वीकारात्मक।

बाल संरक्षण अधिनियम के तहत भूले-भटके, बेसहारा, निराश्रित, जरूरतमंद एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को संरक्षण प्रदान करने हेतु बाल गृह संचालित किये जाने का प्रावधान है। राज्य के राजधानी पटना में संचालित बाल गृह, पटना को अपना घर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावे बालिकाओं के लिए बालिका गृह, निशांत, पटना एवं बेगूसराय में राज्य सरकार द्वारा बाल गृह संचालित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रावाधान के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी राज्य के अन्य जिलों में बाल गृह का संचालन किया जा रहा है।

(ख) अस्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि बाल गृहों में रहने वाले बच्चों के सुरक्षित आवासन, पर्याप्त मात्रा में भोजन, समुचित चिकित्सा, मनोरंजन, उचित शिक्षा तथा उनके काउंसेलिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। सभी प्रकार के संचालित बाल गृहों का नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त कंडिका 'क' एवं 'ख' में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

बाल गृह में रहने वाले बच्चों को अपने घर जैसा माहौल एवं सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित सभी गृहों को सरकारी भवन में संचालित करने हेतु भवन का निर्माण करने हेतु सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया है, जो सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

पटना
दिनांक 29 नवम्बर, 2018 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्